



कार्यालय; जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पलामू, मेदिनीनगर।

(जिला नजारत शाखा)

Emai ID dc-pal@nic.in

दूरभाष सं०-08562-224033 का/224044 (आ)

(अल्पकालीन पुनर्निविदा)

नये समाहरणालय भवन परिसर स्थित ब्लॉक-सी० के पीछे जगहिल में बाईक/वाहन पार्किंग का संचालन किया जाना है। उक्त के आलोक में बाईक/वाहन पार्किंग चलाने वाले योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों से खुली डाक द्वारा अल्पकालीन निविदा दिनांक 12/09/19 के अपराह्न 12.30 बजे तक निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है:-

1. बाईक/वाहन पार्किंग हेतु खुली डाक/निलामी के लिए उपायुक्त, पलामू के पदनाम से राशि 50,000/(पचास हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा। डाक की न्यूनतम बोली 50,000/(पचास हजार रुपये) होगी तथा इससे आगे डाकवक्ता द्वारा लगाये जानी वाली बोली का न्यूनतम अन्तर 5,000/-होगा तथा अधिकतम डाकवक्ता को अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिए बाईक/वाहन पार्किंग संचालन हेतु स्थल आवंटित किया जायेगा।
2. बाईक/वाहन पार्किंग चलाने हेतु इच्छुक योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को अपना पैन कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा विगत वर्ष का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. बाईक/वाहन पार्किंग चलाने हेतु निविदा के साथ इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पार्किंग शुल्क की वसूली करेंगे तथा जिला प्रशासन के निदेशानुसार पार्किंग का संचालन करेंगे।
4. पार्किंग स्थल पर लगाये जाने वाले बाईक/वाहन पार्किंग हेतु शुल्क का निर्धारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था होगी।
5. बाईक/वाहन पार्किंग संचालन हेतु चयनित फर्मो/व्यक्तियों को आदेश निर्गत के 24 घंटे के अन्दर डाक की राशि जिला नजारत शाखा, पलामू में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सुरक्षित जमा राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. निविदा दिनांक 12/09/19 को समय 3 बजे अपराह्न में समाहरणालय भवन ब्लॉक-ए के प्रथम तल पर स्थित समागार में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकेंगे।
7. बिना कोई कारण बताये निविदा को स्थगित/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा, जिसके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
8. निविदा जिला नजारत शाखा, पलामू में दिनांक 12/09/19 को 12.30 बजे (अपराह्न) तक जमा की जा सकेगी। निर्धारित समय के पश्चात निविदा प्राप्त नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 172 /नजा०, दिनांक 28.08.2019
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त निविदा को पलामू जिले के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त, पलामू।